सतीश सितोले

बनाम

श्रीमती गंगा

दीवानी अपील सं. 7567/2004

10 जुलाई, 2008

[अल्तमस कबीर और अफताब आलम, न्यायाधिपतिगण]

भारतीय संविधान, 1950:

अनुच्छेद 136 और 142- पूर्ण न्याय- वैवाहिक विवाद का अंतिम समझौता- पक्षकारों का विवाह असाध्य ढंग से टूट गया- सुलह के सभी प्रयास विफल रहे- पक्षकार 14 वर्षों से अलग रह रहे हैं- अभिनिर्धारित: पक्षकारों के बीच विवाह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पहले से मृत है और इसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे विवाह को निरन्तर रखना स्वयं में क्रूरता होगी- अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को दो लाख रुपये स्थाई गुजारा भत्ता के रूप में अदा करे तथा प्रत्यर्थी द्वारा अपील के लिए वहन किए गए व्यय का भुगतान भी प्रत्यर्थी को कर दे तो अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य विवाह विघटित होगा- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955- धाराएं 13(1)(i)(क) और (i)(ख)।

पक्षकारों के मध्य विवाह दिनांक 22.5.1992 को सम्पन्न हुआ था। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य दाम्पत्य संबंधों की स्थापना से दिनांक 28.02.1993 को एक पुत्र का

जन्म हुआ था। दिनांक 21.8.1994 को प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के पास गई और तब से कभी भी अपने वैवाहिक घर नहीं लौटी। पक्षकारों ने विधिक प्रक्रिया का सहारा लिया- अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को पुनः वैवाहिक घर में लाने का प्रयास किया, वहीं बाद में अपीलार्थी व उसके परिवारजनों के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. में दहेज की मांग के आरोप में प्रथम सूचना इत्तिला दर्ज करवायी गयी- लेकिन दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो सका। अंततः, पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह को भंग करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i)(क) और (i)(ख) के अन्तर्गत एक वैवाहिक प्रकरण दायर किया। विचारण न्यायालय ने न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा संस्थित अपील स्वीकार करते हुए पति द्वारा दायर क्रॉस अपील को खारिज किया और विचारण न्यायालय के फैसले तथा डिक्री को अपास्त किया।

पति द्वारा दायर की गई उक्त अपील में अपीलकर्ता के द्वारा यह अभिकथन किया गया कि विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने और 14 साल से पक्षकारों के अलग रहने को ध्यान में रखते हुए अदालत को संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित करना चाहिए।

न्यायालय द्वारा अपील को निस्तारित किया गया।

अभिनिर्धारित: 1.1 समझाईश के प्रयासों के बावजूद जठिल गाँठ को नहीं खोला जा सका और स्पष्ट रूप से विवाह असाध्य रूप से टूट गया है। [पैरा 7] [771-सी]

1.2 पक्षकारों के मध्य विवाह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पूर्व में समाप्त हो चुका है और इस विवाह को बचाए रखने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे विवाह की

निरंतरता स्वयं में क्रूरता होगी और तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी का विवाह विघटित हो जाएगा, बशर्ते अपीलकर्ता प्रत्यर्थी को निर्वाह व्यय के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान करे। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा अपील के लिए हुए व्यय का भुगतान भी प्रत्यर्थी को करना होगा, जिसका मूल्यांकन 25,000/- रुपये है। [पैरा 12] [772-ई एवं एफ]

रोमेश चंदर बनाम सावित्री (1995) 2 एससीसी 7; अंजना किशोर बनाम पुनीत किशोर (2002) 10 एससीसी 194; स्वाति वर्मा बनाम राजन वर्मा और अन्य (2004) 1 एससीसी 123; और दुर्गा प्रसन्ना त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी (2005) 7 एससीसी 352- पर निर्भर किया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 7567/2004

उच्च न्यायालय, म.प्र. की खंडपीठ इंदौर के द्वारा एफ.ए. क्रमांक 114/2002 में दिए निर्णय एवं आदेश दिनांक 1-11-2003 से।

नीरज शर्मा, विक्रांत सिंह, साधना शर्मा और अमित सिंह अपीलार्थी की ओर से।

लिली इसाबेल थॉमस, अशोक पाणिग्रही, शाजू फ्रांसिस और सी. पी. शर्मा प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

अल्तमस कबीर, न्यायाधिपति

1. पूर्व में भी दिनांक 13.1.1995 को रोमेश चंदर बनाम सावित्री (1995) 2 एससीसी 7) के मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के पास यह सवाल उठाने

का अवसर था कि क्या एक विवाह जो अन्यथा भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से मृत हो चुका है, क्या ऐसे विवाह को केवल नाम मात्र के लिए जारी रखा जाए। उक्त अपील में हमारे सामने भी इसी तरह का प्रश्न है।

2. अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच विवाह दिनांक 22.5.1992 को हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था। दिनांक 21.8.1994 को प्रत्यर्थी किसी कारण से अपना वैवाहिक घर छोड़कर अपने माता-पिता के पास वापस चली गई और तब से दंपति अलग-अलग रह रहे हैं। तत्पश्चात् पक्षकारों द्वारा कानून का सहारा लेते हुए जब अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.1994 को प्रत्यर्थी को एक नोटिस भेजा गया और प्रत्यर्थी को अपने वैवाहिक घर में लौटने के लिए कहा। दिनांक 20.10.1995 को प्रत्यर्थी ने दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-अ के तहत अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और दिनांक 2.2.2003 को प्रकरण के पूर्ण विचारण के बाद अंततः अपीलकर्ता और उसके परिवारजनों को दोषमुक्त कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा तलाशी वारंट जारी करने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात् प्रत्यर्थी उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष उपस्थित हुई और अपीलकर्ता के पास लौटने के लिए सहमति दी लेकिन वह सहमति के अनुसार अपीलकर्ता के पास वापस नहीं लौटी।

3. अंततः दिनांक 28.9.1998 को अपीलकर्ता द्वारा विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) (i)(क) और (i)(ख) के अन्तर्गत क्रूरता और परित्याग के आधार पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संख्या 9, इंदौर (एमपी) के समक्ष वैवाहिक प्रकरण संख्या 383/1998 दर्ज करवाया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई क्रूरता व परित्याग को अपीलकर्ता द्वारा साबित करने के उपरान्त भी विचारण

न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री पारित न करते हुए न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित की गई। विचारण न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक पृथक्करण के फैसले के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई अपील और अपीलकर्ता के द्वारा विवाह विच्छेद की मांग करते हुए दायर की गई क्रॉस अपील में उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले तथा और डिक्री को पलटते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता के आचरण के कारण ही प्रत्यर्थी को अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधिपति ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा अपीलकर्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। इस निष्कर्ष पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील और विवाह विच्छेद की प्रार्थना को खारिज कर दिया तथा प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को अपास्त कर दिया।

4. प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध यह अपील दायर की गई है।

5. उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया गया था तथा अपीलकर्ता के आचरण के कारण प्रत्यर्थी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता द्वारा एक पृथक् दृष्टिकोण अपनाते हुए अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता की ओर से आग्रह करते हुए प्रार्थना की गई कि यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा विवाह विच्छेद के लिए आधार के रूप में क्रूरता और परित्याग के अपने पक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। विवाह के असाध्य रूप से टूटने को दृष्टिगत रखते हुए, तकनीकी लाक्षणिकताओं से अबाध्य रहते हुए इस न्यायालय द्वारा

संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को राहत दी जानी चाहिए। यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि दोनों पक्षकार विवाह के 16 वर्षों में से 14 वर्षों तक अलग-अलग रहे हैं तथा उक्त समय में से अधिकांश समय दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय में की गई विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं में एक-दूसरे के विरुद्ध तल्ख आरोप-प्रत्यारोप में बिताया गया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि विवाह की पुनःप्राप्ति की कोई संभावना नहीं है और दोनों पक्षों की व्यथा को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रारंभिक स्तर पर प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से यह दर्शाया गया था कि वह कुछ शर्तों की पूर्ति के उपरांत अपीलकर्ता के पास वापस जाने के लिए तैयार और इच्छुक थी, जिस कारण इस न्यायालय द्वारा एक सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावित अपेक्षा की गई परंतु प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से अपनाए गए कठोर रुख के कारण वह प्रयास विफलता में समाप्त हुआ। प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालयों द्वारा आदेशित किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी-पत्नी को निर्वाह व्यय के रूप में भुगतान करेगा जिसकी पालना अपीलकर्ता द्वारा नहीं की गई। इस स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.2.1993 को दोनों पक्षों के मध्य स्थापित दाम्पत्य संबंधों से एक पुत्र (चेतन) का जन्म हुआ था और यह उम्मीद थी कि बच्चा सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, लेकिन उस बच्चे के होते हुए भी पक्षकारों के मध्य सुलह नहीं बन पाई।

7. पहले के सुलह के प्रयासों के बावजूद विवाह में उत्पन्न जठिल गाँठ को खोला नहीं जा सका और स्पष्ट रूप से विवाह असाध्य रूप से टूट गया है, दोनों पक्षकारों की ओर से यह निवेदन किया गया कि यह दोनों पक्षकारों के लिए सर्वोत्तम

हित में होगा कि प्रत्यर्थी के लिए स्थायी निर्वाह व्यय के पर्याप्त प्रावधान के साथ विवाह विघटित हो जाना चाहिए।

8. इस पृष्ठभूमि में हमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को अपास्त करने तथा अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच विवाह विघटित करने की डिक्री देने की अपीलकर्ता की प्रार्थना पर विचार करना है।

9. अपीलकर्ता की ओर से की गई प्रार्थना और प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रार्थना को समर्थित करना नया तथ्य नहीं है। इस निर्णय के प्रारंभ में ही रोमेश चंदर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया गया था, उक्त फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब कोई विवाह भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाता है और उसके पुनः प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं होती, ऐसे विवाह को जारी रखना क्रूरता के समान होगा। तदनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच विवाह को इस शर्त के अधीन विघटित करने का निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता अपना घर अपनी पत्नी के पक्ष में हस्तांतरित करेगा।

10. संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत इस न्यायालय में अंर्तःनिहित शक्ति का प्रयोग भी किया गया था- (i) अंजना किशोर बनाम पुनीत किशोर, (2002) 10 एससीसी 194; (ii) स्वाति वर्मा बनाम राजन वर्मा और अन्य, (2004) 1 एससीसी 123; और (iii) दुर्गा प्रसन्ना त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी, (2005) 7 एससीसी 352। उपरोक्त तीन मामलों में से, पहले दो मामलों में पारित आदेश स्थानांतरण याचिकाओं से संबंधित थे जिनमें अंततः पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13ख के अन्तर्गत विवाह विच्छेद के लिये सहमति दी गई। संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत इस न्यायालय को प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

पक्षकारों के मध्य लंबित सभी प्रकरणों को इस आधार पर निस्तारित करने के लिए विवाह विच्छेद के आदेश पारित किए गए कि पक्षकारों के मध्य विवाह असाध्य रूप से टूट चुका था। अंतिम तीन मामलों में यह मानते हुए कि विवाह पूर्णतया टूट चुका था, इस न्यायालय द्वारा पारिवारिक न्यायालय के द्वारा पारित विवाह विच्छेद के आदेश की अभिपुष्टि करते हुए 1,50,000 रुपये निर्वाह व्यय के रूप में देने का निर्देश दिया।

11. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समस्त महत्वपूर्ण अभिकथनों व तर्कों पर मनन करने तथा इस तथ्य पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के उपरांत कि विवाह के 16 वर्षों में से अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी 14 वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे, यह भी कहना उचित होगा कि सुलह का कोई भी उत्तरगामी प्रयास व्यर्थ होगा तथा यह दोनों पक्षकारों के हित में होगा कि वे वैवाहिक संबंधों को विघटित कर दें क्योंकि विवाह पूर्णतया टूट चुका है।

12. उक्त परिस्थितियों में, रोमेश चंदर के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के दृष्टांत के संदर्भ में इस न्यायालय का यह भी मानना है कि चूंकि पार्टियों के बीच विवाह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मृत है और इसके पुनर्प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है, इस तरह के विवाह की निरंतरता स्वयं में क्रूरता होगी, और, तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी को एकमुश्त 2 लाख रुपये बतौर स्थाई निर्वाह व्यय का भुगतान करेगा तथा इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता प्रत्यर्थी को इस अपील के व्यय के निर्धारित रुपये 25 हजार का भुगतान करेगा। तदअनुसार अपील को निस्तारित किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेंद्र सिंह सांदू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।